संख्या– ५५ / XXII / 2004–सूचना / 2004

प्रेषक,

अमिताभ श्रीवास्तव,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में

महानिदेशक,
सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग,
देहरादून।

सूचना अनुभाग:

देहरादून दिनांक 21 मई,2004

विषयः लेखानुदान 2004–05 में अवचनबद्ध मदों में प्राविधानित अवशेष धनराशि के आवंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–30 सूचना / 2004 दिनांक 12–04–04 एवं आपके पत्रांक–808 / सू0लो0स0वि0, (लेखा) / 2004, दिनांक 21 अप्रैल, 2004 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय सूचना विभाग के लेखानुदान 2004–05 में प्राविधानित आयोजनेत्तर पक्ष के निम्नलिखित अवचनबद्ध मदों हेतु रूपये 248.34 लाख (रूपये दो करोड़ अड़तालीस लाख चौतीस हजार मात्र) की धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2004–05 में व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(धनराशि रूपये लाख में)

लेखाशीर्षक / उपलेखाशीर्षक	मानक मद	वित्तीय वर्ष 2004–05 में स्वीकृत की जा रही धनराशि।
2220–सूचना तथा प्रचार – 60–अन्य–आयोजनेत्तर 001–निदेशन तथा प्रशासन 03–अधिष्ठान–00	22–आतिथ्य व्यय / व्यय विषयक भत्ता आदि	6.67
	26– मशीनें और साज्जा / उपकरण और सयत्र	1.67
	46– कम्प्यूटर हार्डवेयर / साफ्टवेयर का क्रय	0.67
	47–कम्प्यूटर अनुरक्षण / तत्संबधी स्टेशनरी का क्रय	0.33
	योग–	9.34
2220–सूचना तथा प्रचार – 60–अन्य– आयोजनेत्तर 101–विज्ञापन तथा दृश्य प्रचार 05–अधिष्ठान–00	19–विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय	233.33
	योग–	233.33
2220–सूचना तथा प्रचार 60–अन्य–आयोजनेत्तर 110–प्रकाशन 03–अधिष्ठान–00	18–प्रकाशन	5.67
	योग–	5.67
	महायोग	248.34

2– उक्त स्वीकृत धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत की जाती है कि मितव्ययी मदों में आवंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाय। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता जिसे व्यय करने के लिये बजट मैनुअल या वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने के पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसा व्यय सम्बन्धित की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिये। व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। व्यय करते समय मितव्ययता के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी किये गये शासनादेशों में निहित निर्देश का कड़ाई से अनुपालन किया जाय।

3– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना कि स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय ।

4– स्वीकृति की जा रही धनराशि का 31–03–2005 तक पूर्ण उपयोग कर वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध करा दिया जायगा।

5– उपकरणों/फर्नीचर आदि का क्रय डी0जी0एसएन0डी0 की दरों पर अथवा टेन्डर कोटेशन विषयक नियमों का अनुपालन करते हुये किया जायेगा।

6– कम्प्यूटर आदि का क्रय एन0आई0सी0/आई0टी0 विभाग की संस्तुति के उपरान्त ही उनके दिशा निर्देशों का अनुपालन करते हुये किया जायेगा।

7– व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा जिनके लिये यह स्वीकृत किया जा रहा है।

8– उक्त धनराशि को निवर्तन पर इस शर्त के अधीन रखा जा रहा है कि इसका कोषागार से आहरण एक मुश्त न करके आवश्यकतानुसार ही किया जायेगा।

9–उपरोक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2004–2005 के अनुदान संख्या–14 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक –2220–सूचना तथा प्रचार के अन्तर्गत उपरिउल्लिखित लेखाशीर्षको/मानक मदों के नामें डाला जायेगा।

10–उपरोक्त आदेश वित्त विभाग के अशा0 सं0– 329/वित्त अनु0–3/2004, दिनांक 20 मई, 2004 में प्राप्त उनकी सहमति के आधार पर जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

(अमिताभ श्रीवास्तव)
अपर सचिव

पृष्ठांकन संख्या– ५५/ XXII/2004– सूचना/2004 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तरांचल, इलाहाबाद।
2– वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
3– वित्त अनुभाग–3, उत्तरांचल शासन।
4– जिलाधिकारी, देहरादून।
5– एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर ।
6– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अमिताभ श्रीवास्तव)
अपर सचिव